न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–46/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. वीरू पुत्र स्व0 श्री रामप्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

.... अपीलांटस

बनाम

1. बृजलाल पुत्र श्री रामसहाय जाति मीना निवासी ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

................................असल रेस्पो0

2. अन्तराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रकाश,
3. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामप्रकाश,
4. राकेश पुत्र स्व0 श्री रामप्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0,
5. कमला पुत्री स्व0 श्री रामप्रकाश पत्नि श्री दीनदयाल जाति मीना निवासी हाल ग्राम हाजीपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
6. रामफूल पुत्र श्री मूल्या जाति मीना निवासी ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेरली जिला अलवर राजस्थान जरिये प्रबंधक

.................तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री अमरचंद चौधरी, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री भरत जैन, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–04.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत में एक वाद इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी बाबत आराजी खसरा नंबर 880 रकबा 0.53 है0 जिसका साबिक खसरा नंबर 755 ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर, का पेश किया। तहत अदालत

द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना तामील उपस्थित नही आये। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहत अदालत द्वारा दावा वादी एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नंबर 880 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर के 1/2 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज है, उसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा हाल राजस्व रिकार्ड से मृतक प्रतिवादी रामप्रकाश पुत्र मूल्या के नाम को कलमजन करने के आदेश दिये गये। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2015 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का भी पेश किया। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

बहस की शुरूआत करते हुये रेस्पो0 ने कथन किया कि अपील केवल मूल डिक्री के पक्षकारों द्वारा ही की जा सकती है, यदि किसी अन्य पक्षकार या उसके उत्तराधिकार का हित निहित है तो सर्वप्रथम न्यायालय को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी पर गुणावगुण के आधार पर उसको स्वीकार/अस्वीकार करने पर ही आगामी कार्यवाही की जानी चाहिये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के साथ धारा 96 सीपीसी न्यायालय में पत्रावली के साथ प्रस्तुत ही नही किया है तो विधि अनुसार अपील में पक्षकार ही नही बनाया जा सकता है।रेस्पो0 संख्या 05 द्वारा बिना 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के, तरतीबी रेस्पो0 बनाया गया है जिसके आधार पर भी अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

कथन प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अधिवक्ता रेस्पो0 के जबाव में अभिभाषक अपीलांट ने तर्क किया कि 2016 आरबीजे 547 दृष्टांत में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "पीडित पक्षकार बिना सीपीसी 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये भी सीधे अपील कर सकती है"। चूंकि इस प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है अतः उसे अपील प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना न्यायसंगत होगा।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट द्वारा निर्णय के 03 वर्ष बाद अपील पेश की गई है, जिसमें देरी का प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है, प्रार्थना पत्र निरस्त कर मियाद के बिंदु पर अपील खारिज की जावे।

जबावुल जबाव अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राज0 दिनांक 14.12.2015 मिन अपीलांट की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में ना होने के कारण समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी, जिसमें अपीलांट की कोई लापरवाही या बदनियति नही है। मिन अपीलांट के पिता अपने जीवनकाल में तहत अदालत में विचाराधीन वाद की पैरवी करते होंगे, इस बाबत मिन अपीलांट को कोई जानकारी नही थी। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही होने के कारण हुई उक्त देरी, जो कि अपीलांट की नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काबिल माफी है, तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जहां निर्णय व डिक्री आरम्भ से ही अवैध

व शून्य है तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हो, वहां मियाद का बिंदु गौण हो जाता है। ऐसे निर्णय व डिक्री को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। इसलिये मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलांट अंदर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2015 मिन अपीलांट की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में एकतरफा में पारित किया गया है। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांअ को साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नही दिया। तहत अदालत से जारी किसी भी नोटिस की कोई व्यक्तिगत विधि सम्यक् तामील मिन अपीलांट को नही हुई। तहत अदालत ने एकपक्षीय निष्कर्ष निकालते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पारित किये है। तहत अदालत द्वारा जल्दी जल्दी तारीखें नियत कर एवं बिना विधिक व नियम प्रक्रिया अपनाये पारित की है। यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 880 रकबा 0.53 है0 जिसका गत खसरा नंबर 755 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 में स्थित है। उक्त विवादित आराजी जगन, रामसहाय पुत्रान मंगल नाई की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जगन नावल्द फौत हो गया, जिसके स्वर्गवास उपरांत सालिम विवादित आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार रामसहाय हो गया। रामसहाय ने उक्त आराजी का बेचान दिनांक 20.07.1970 को वादी असल रेस्पो0 बृजलाल के पिता रामसहाय पुत्र गुलजी मीना व मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 ला. 05 के दादा व तरतीबी रेस्पो0संख्या 06 के पिता मूल्या को कर दिया, ओर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया।बयनामा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार पंजीबद्ध करा दिया। असल रेस्पो0 का पिता बडा था इसलिये बयनामा उसने अकेले ने अपने नाम करा लिया। रामसहाय पुत्र गुलजी असल रेस्पो0 बृजलाल का पिता फौत हो गया। विवादित आराजी के बंदोबस्त से पूर्व साबिक राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग वादी असल रेस्पो0 के पिता रामसहाय व 1/2 पर चाचा मूल्या मीना को आधे बंटाई पर काश्त हेतु 05 साल तक दिया गया, के नाम बकाश्त दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 संख्या 02 ला. 05 के पिता रामप्रकाश का नाम दर्ज है। आज भी मौके पर 1/2 हिस्सा पर अपीलांट व उक्त तरतीबी रेस्पो0 का कब्जा है, जो 50 सालों से अधिक से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, हमारे पिता रामप्रकाश के स्वर्गवास उपरांत हमारा कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड संवत 2028 में 1/2 हिस्सा रामप्रकाश पुत्र मूल्या की खातेदारी में दर्ज है। दौराने दावा अपीलांट के पिता रामप्रकाश का स्वर्गवास हो गया, और वादी असल रेस्पो0 ने दिनांक 10.12.2015 को तहत अदालत में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सिविल प्रक्रिया पेश किया गया, जिसमें मृतक की पुत्री को वारिस पक्षकार नही बनाया गया। जिस प्रार्थना पत्र की उसी दिन बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतिम निर्णय हेतु दिनांक 14.12.2015 नियत की गई। और दिनांक 14.12.15 को ही वादी असल रेस्पो0 का दावा तहत अदालत द्वारा डिक्री कर दिया गया। जबकि कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र मंजूर करने के बाद संशोधित टाईटल पेश होना चाहिये था। तहत अदालत में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खिलाफ तथ्य कानून मौका

साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर बसिलसिले राजस्व वाद संख्या 1/346/15 अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त वाद असल रेस्पो0 वादी खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की– 2008(2) आरआरटी 787, आरआरटी 2017(1) पेज 415, आरबीजे 2016 पेज 546, आरआरडी 1999 पेज 309, आरबीजे 2010 पेज 396, आरआरडी 1994 पेज 604, आरबीजे 2008 पेज 761, आरआरडी 1993 पेज 502, आरआरडी 1995 पेज 576(बी).

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि रामप्रसाद ने स्वयं व मृतक भाई जगन का यानि उक्त आराजी का पूर्ण हिस्सा वादी के पिता रामसहाय को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.07.1970 को बेचान कर दिया व उक्त आराजी सालिम पर कब्जा दे दिया, बेचान मद्दे रकम प्राप्त कर ली। जमाबंदी संवत 2028 में हाल खसरा नंबर 880 को रामसहाय पुत्र गुलजी व रामप्रकाश पुत्र मूला मीना की खातेदारी में दर्ज किया गया है। बंदोबस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रकाश का नाम आधे हिस्से पर बिना मौका कब्जा, बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के खिलाफ कानून व मौका दर्ज किया है जबकि बंदोबस्त विभाग को इस तरह इन्द्राज बदलने का अधिकार नही था। बंदोबस्त विभाग को तो मौका कब्जे के अनुसार व पुराने रिकार्ड के आधार पर खातेदारी वादी रेस्पो0 के नाम दर्ज करनी चाहिये थी।बंदोबस्त का रिकार्ड गलत चला आ रहा था। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा पहले से ही राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है लेकिन 1/2 हिस्सा बंदोवस्त विभाग ने मौके व कब्जे के विपरीत प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रकाश के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर दिया। तहत अदालत में वादपत्र के साथ पेश खसरा गिरदावरी में कब्जा काश्त भी वादी की दर्ज है। तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

1993 आरआरडी 24, 1991 आरआरडी 164, 2001 आरआरडी पेज 396, 2004 आरआरडी पेज 761, 1993 आरआरडी 44, 1993 आरआरडी 232, 1990 आरआरडी 689, 2000 आरआरडी 95 (आरजे एचसी).

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2015 का अवलोकन किया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन कि तरतीबी रेस्पो0 संख्या 05 के द्वारा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने से अपील स्वीकार नही है। परन्तु प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 5 तरतीबी रेस्पो0 हैं। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात के संबंध में तहत अदालत में वह प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्री है, विवादित आराजीयात में उसके हक निहित हैं। यहां अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2016आरबीजे 547 चस्पा होती हैं।अतः इस आधार पर अस्वीकार करना न्यायोचित व विधिसम्मत नही है। अतः अधिवक्ता रेस्पो0 के तर्क को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद कानून यद्यपि 03 वर्ष बाद पेश किया गया है परन्तु अपीलांट द्वारा सशपथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन अंकित किये हैं कि तहत अदालत द्वारा इस निर्णय की जानकारी सर्वप्रथत 17.06.2018 को हुई थी, क्योंकि तहत अदालत में विधिक रूप से तामील ही नही हुई थी। तहत अदालत में संलग्न तामील पर प्राकृतिक न्याय व गुणावगुण के आधार पर न्यायालय को अधिकार है कि तामील की भी विवेचना करे, जैसा कि कस्तूरी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आरबीजे(17) 2010 पेज 396 पर उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि "अपीलीय कोर्ट को सर्विस नोटिस का परीक्षण करने की शक्ति है"। हमारे द्वारा तामील का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्योंकि अपील में इस बिंदु को नही देखा जाकर इससे आगे की प्रक्रिया को भी देखा जाना है।

तामील से आगे की प्रक्रिया तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार नही की गई है। न्यायालय आदेशिका दिनांक 29.06.2008 के अनुसार तहत अदालत द्वारा प्रतिवादी 01 लगायत 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी 01 द्वारा एकतरफा कार्यवाही को सेट असाईड करने बाबत अंकित कारणों में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 व धारा 05 मियाद अधिनियम सशपथ प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके अधिवक्ता भवानी सिंह चौहान द्वारा 16.01.2009 को अधिकार पत्र तहत अदालत में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20.05.2010 को प्रति0 1 की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह चौहान ने वकालतनामा विड्रॉ किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस तहत अदालत द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रति0 1 की ओर से वकालतनामा विड्रॉ करने की अनुमति तहत अदालत द्वारा दी गई तो अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत को इकतरफा कार्यवाही करने से पूर्व प्रार्थी को नोटिस देना चाहिये था, में बहुत सार है। इस बाबत् एआईआर1998 एससी पेज 258, आरआरडी 1994 पेज 172, आरआरडी2002 पेज 666. इनमें भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 07 के साथ धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का भी प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में धारा 05 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने से पूर्व तहत अदालत को आगे की तारीख देने के साथ–2 अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता को पाबन्द करना चाहिये था कि वे उनके मुवक्किल को पैरवी न करने के संबंध में रजिस्टर्ड नोटिस भेजें तथा उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करें अथवा उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थी संख्या 01 को नोटिस भेजना चाहिये था। ऐसा न कर उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 11.07.2013 को प्रति0 1 का प्रार्थना पत्र बाबत एकतरफा कार्यवाही खुलवाने का प्रार्थना पत्र खारिज का आदेश पारित किया है। यह विधि विरूद्ध व निरस्त योग्य है।

इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 10.12.15 को वकील वादी ने आदेश 22 नियम 04 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत मातहत ने स्वीकार कर लिया। जब अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम पेश किये गये तो उनको सुनवाई का अवसर देने हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस निकाले जाने चाहिये थे, परन्तु ऐसा न कर उसी दिन आदेश के लिये 14.12.15 नियत कर दी। तहत अदालत द्वारा ऐसा करने पर पुनः विधिक त्रुटि की है व जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर